

सं०सं०-16/एच.1-07/2015-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में व्याख्याता की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन सं० 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 39/2017 एवं 40/2017 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 5ए/प्र०नि० - 01-30/2017-346-लो०से०आ०/गो० दिनांक 13.02.2019, द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 08 अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के व्याख्याता के पद पर वेतनमान 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 5400(वेतन स्तर-9) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित पदस्थापन स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जन्म तिथि	संयुक्त मेधा क्रमांक	विभाग	कोटि	पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीमति इन्दिरा सिंह, द्वारा- डा० बिनोद सिंह, राजा राम मोहन राय कम्प्लेक्स, फ्लैट नं०-304 रोड नं०-11, अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना -800020, बिहार	12.10.1985	2	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसीन	अनारक्षित	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	डॉ० इन्दिरा द्वारा व्याख्याता मेटेरिया मेडिका के पद पर योगदान देने हेतु सहमति दी है।
2.	श्री विवेक कुमार शैल, पिता- श्री तनिक प्रसाद, ग्राम-बादशाहपुर, पोस्ट-मन्दना, जिला- शेखपुरा, थाना हथियावा, बिहार-811105	16.02.1984	1	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसीन	अनुसूचित जाति	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	इंटरमीडियट का मूल प्रमाण पत्र से प्राचार्य संतुष्ट हो लेंग
3.	श्री संजय कुमार सिंह, पिता- राम सेवक सिंह, ग्राम-औरहा, पो०-छौरही, भाया- खजौली, थाना-बाबूबरही, जिला- मधुबनी-847228, बिहार	01.03.1981	1	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसीन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	

4.	श्री अरविन्द प्रसाद, पिता- श्री अर्जून प्रसाद, ग्रा+पो. -विशंभरपुर एलौथ, थाना- मुसरी धरारी, जिला- समस्तीपुर-848101, बिहार	13.02. 1969	1	होमियोपै थिक फार्मसी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	एम०डी० का मूल प्रमाण पत्र से प्राचार्य संतुष्ट हो लेंगे
5.	श्रीमति इन्दिरा सिंह, द्वारा- डा० बिनोद सिंह, राजा राम मोहन राय कम्प्लेक्स, फ्लैट नं०-304 रोड नं०-11, अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना-800020, बिहार	12.10. 1985	1	होमियोपै थिक मेटेरिया मेडिका	अनारक्षित महिला	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	डॉ० इन्दिरा द्वारा व्याख्याता मेटेरिया मेडिका के पद पर योगदान देने हेतु सहमति दी है।
6.	श्री अमित, द्वारा-डॉ० मृदुल कुमार सहनी, मो०-शिवपुरी, पो०+थाना- शास्त्रीनगर, पटना-800023 बिहार	07.01. 1980	1	सर्जरी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	डॉ० अमित द्वारा व्याख्याता रिपर्टरी के पद पर योगदान देने हेतु सहमति दी है।
7	श्री शशिमूषण सिंह, द्वारा- डॉ० रामजी सिंह, अशोक नगर, रोड नं०-4, कंकड़बाग पटना-800020 बिहार	01.01. 1984	1	ऑब्स एवं गायनोक्ल ॉजी	अनारक्षित	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	हाउस जॉब प्रमाण पत्र से प्राचार्य संतुष्ट हो लेंगे
8	श्री अमित, द्वारा-डॉ० मृदुल कुमार सहनी, मो०-शिवपुरी, पो०+थाना- शास्त्रीनगर, पटना-800023 बिहार	07.01. 1980	1	रिपर्टरी	अनारक्षित	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	डॉ० अमित द्वारा व्याख्याता, रिपर्टरी के पद पर योगदान देने हेतु सहमति दी है।

2. सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित गेघा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये नियमानुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

3. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

4. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/द देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक 01.04. 2003 के अनुपालनार्थ प्रत्येक अभ्यर्थी को उन्हें अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान के समय मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को अपना योगदान देंगे तथा इसकी सूचना प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि इनमें से जिनके विरुद्ध चरित्र पूर्व चरित्र के संबंध में गृह (आरक्षी) विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

8. प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक- 16/एच.1-07/2015- 579 (आ.चि.) पटना/दिनांक- 24.4.2019

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा योगदान/प्रभार ग्रहण करने के संबंध में उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही सभी अभ्यर्थी अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध करायेंगे।



सरकार के अवर सचिव
24.4.19